विश्वस्टीटयूट के विनियमों के विनियम 3.1 के साथ पठित इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ सांइस, बंगलौर की संपत्तियों और निधियों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए योजना के खण्ड 9.1 के उप खण्ड (इ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में यह सभा ऐसी रीति से जैसा सभापित निदेश दें, सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को चतुर्वार्षिक 2002-2005 के लिए कौंसिल ऑफ दी इंडियन इंस्टीटयूट आफ साइंस, बंगलौर का सदस्य होने के लिए निर्वाचित करने की कार्यवाही करें॥

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ ।

STATEMENTS REGARDING ORDINANCES

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. (श्रमती) रीता वर्मा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, में उन परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए एक विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हूं जिसके कारण प्रोद्योगिकी संस्थान (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2001 द्वारा तत्काल विधान बनाने की आवश्यकता हुई।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI OMAR ABDULLAH): Sir, on behalf of Shri Jaswant Singh, I lay on the Table a Statement (in English and Hindi) explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by the Passports (Amendment) Second Ordinance, 2001.

GOVERNMENT BILLS

THE PASSPORTS (AMENDMENT) BILL, 2001

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY" OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI OMAR ABDULLAH): Sir, I beg to move for leave to withdraw the Passports (Amendment) Bill, 2001.

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ ।

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I withdraw the Bill.

THE PASSPORTS (AMENDMENT) BILL, 2002

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI OMAR ABDULLAH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Passports Act, 1967.

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह स्वीकृत हुआ ।

SHRI OMAR ABDULLAH: Sir, I introduce the Bill.